

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 से 2

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना का क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 4

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 10

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। मद मद

क्रमांक 11 से 15

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर -रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 से 17

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 से 30

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी-सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 13.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31 से 32

नए उद्यानों तथा पौधशालाओं के रखरखाव पर ₹ 13.49 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34 से 35

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत ₹ 1701.99 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 17,01,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36 से 37

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (उद्यानिकी) योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 1415.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।